



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-08042022-234987
CG-DL-E-08042022-234987

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1635]
No. 1635]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 8, 2022/चैत्र 18, 1944
NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 8, 2022/CHAITRA 18, 1944

नागर विमानन मंत्रालय

(एडी अनुभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 अप्रैल, 2022

का.आ. 1718(अ).—विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 2008 (2008 की सं.27) के अध्याय II की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा श्री धर्मेन्द्र कुमार कामरा को दिनांक 04.03.2022 से पांच वर्ष की अवधि के लिए अथवा उनके 62 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने तक अथवा आगामी आदेशों तक, जो भी पहले हो, विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण का सदस्य नियुक्त करती है।

[फा. सं. एवी-24011/2/2020-एडी]

रुबीना अली, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CIVIL AVIATION**(AD Section)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 7th April, 2022

S.O. 1718(E).—In exercise of the powers conferred by sub section (1) of section 4 of chapter (II) of the Airports Economic Regulatory Authority of India Act, 2008 (No. 27 of 2008), the Central Government hereby appoints Shri Dharmendra Kumar Kamra as Member, Airports Economic Regulatory Authority w.e.f. 04.03.2022 for a tenure of five years or till he attain the age of 62 years or until further orders, whichever is the earliest.

[F. No. AV-24011/2/2020-AD]

RUBINA ALI, Jt. Secy.